

कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
पत्रांक 683/मु0वि0प्रा0/आर0बी0ओ0/2024-25 दिनांक: 10/12/2024

सेवा में,

स्वीकृति पत्र

श्री सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री प्रेम प्रकाश
एवं श्री चरन जीत सिंह पुत्र स्व0 श्री मगत सिंह
स्थल का पता-ग्राम मझरा के गाटा सं0-177, 178 एवं 179
तहसील व जिला मुरादाबाद।

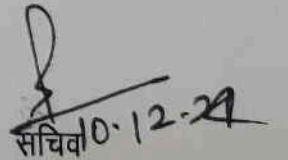
विषय ग्राम मझरा के गाटा सं0-177, 178 एवं 179 तहसील व जिला मुरादाबाद पर किये गये निर्माण कार्य के शमन के सम्बन्ध में।

आप द्वारा ग्राम मझरा के गाटा सं0-177, 178 एवं 179 तहसील व जिला मुरादाबाद की भूमि पर प्रस्तुत शमन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 05.09.2024 को निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है:-

शर्त:-

1. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद-विवाद की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. स्वीकृत मानचित्र अनुसार स्थल का उपयोग करना होगा, अन्यथा स्थिति में मानचित्र निरस्त की कार्यवाही की जा सकती है।
3. स्थल पर निर्माण करते समय वायु प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी एन0जी0टी0 के निर्देशों का पालन करना होगा।
4. मानचित्र की एक प्रति स्थल पर रखनी होगी तथा प्राधिकरण कर्म/अधिकारी के माँगने पर दिखानी होगी।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग की एन0ओ0सी0 की आवश्यकता होगी तो आवेदक को स्वयं प्राप्त करनी होगी।
6. भविष्य में यदि कोई देयता बनती है तो आवेदक द्वारा देय होगी।
7. भूखण्ड परिसर में नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग सम्बन्धी प्राविधान करना होगा।
9. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित नियम व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. मानचित्र की स्वीकृति उक्त शर्तों क्रम सं0 01 से 09 के अधीन होगी।

उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के क्रम में आपके द्वारा शमन व अन्य शुल्क ₹0 53,69,571.00 (तिरेपन लाख उन्नहत्तर पांच सौ इक्कहत्तर रुपये मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा करा दिये गये हैं। अतः शमन मानचित्र उपरोक्त अंकित शर्तों के साथ इस आशय से निर्गत किया जा रहा है कि इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


सचिव 10.12.24

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।